प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 07.01.2026

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास व मारपीट के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस बरामद।

दिनांक 10.10.2025 को दो पक्षों के द्वारा सार्वजनिक स्थान पर इकट्ठा होकर एक दूसरे की जान को जोखिम में डालकर एक दूसरे के ऊपर लाठी-डण्डो व ईंट-पत्थर से हमला करने, एक दूसरे के साथ मारपीट करने, गाली गलौज व बलवा करने के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा दोनों पक्षों के विरूद्ध तत्काल धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/352/ 351(2)109(1)/324(4) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा दोनों पक्षों से मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण 1. शौकत अली पुत्र स्व0 सुलेमान 2.यामीन पुत्र स्व0 सुलेमान 3. खुर्शीद पुत्र स्व0 सुलेमान 4. मोमीन पुत्र शौकत अली 5. फरमान मलिक पुत्र यामीन 6. उस्मान पुत्र मेहदी हसन उर्फ मिन्दर 7.सर्फू उर्फ शराफत पुत्र यामीन उर्फ मीना प्रधान 8. साजिद उर्फ मुर्गा पुत्र यामीन 9. उस्मान पुत्र मेहदी हसन उर्फ मिन्दर 10.आदिल उर्फ भूरा पुत्र एहसान 11. साजिद पुत्र यामीन 12. हासिम पुत्र यामीन 13. जियाउल पुत्र खुर्शीद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

आज दिनांक 07.01.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त 1. कासिम उर्फ भूरा पुत्र यामीन निवासी- गली नं0 02, 100 फुटा रोड लक्ष्मी गार्डन इन्द्रापुरी, थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 33 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि यामीन मेरे पिताजी है उनका भैसों के व्यापार में लाने ले जाने को लेकर घटना से 03 दिन पूर्व मेरे पिताजी यामीन व दूसरे पक्ष के सरफू उर्फ शराफत में राजस्थान में कहासुनी हुई थी, इसी बात को लेकर दिनांक 10.10.2025 को शुक्रवार नमाज के बाद दोनों पक्ष इकट्ठा होकर आपस में एक दूसरे को जान से मारने की नीयत से एक दूसरे को लाठी, डण्डों, फरसा, पलटा व ईट-पत्थर व तमंचा लेकर जान से मारने की नीयत से मारपीट की गई थी जिसमें मैं भी शामिल था इस घटना में मैंने दूसरे पक्ष को डराने धमकाने के लिए ये तमंचा भी दिखाया था और मौके से भाग गया था तथा पुलिस से बचने के लिए छिपकर रह रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

कासिम उर्फ भूरा पुत्र यामीन निवासी- गली नं0 02, 100 फुटा रोड लक्ष्मी गार्डन इन्द्रापुरी, थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 33 वर्ष

बरामदगी का विवरण -

घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- आज दिनांक 07.01.2026 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त सन्नी कुमार पुत्र पप्पू निवासी गांव भटपुरा थाना सादाबाद जनपद हाथरस हाल पता राहुल के मकान में किरायेदार भोवापुर कौशाम्बी गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष को आनन्द विहार बार्डर के पास कौशाम्बी से चोरी की 01 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त सन्नी कुमार पुत्र पप्पू उपरोक्त के विरुद्ध धारा 317(2), 317(5) बीएनएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त सन्नी कुमार पुत्र पप्पू उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त उपरोक्त दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में मोटर साइकिल चोरी करता है। इसीक्रम में अभियुक्त उपरोक्त ने यह मोटर साइकिल थाना लाजपत नगर दिल्ली क्षेत्र से चोरी की थी। जिसे डेढ़ महीने से अपने काम में प्रयोग कर रहा था। अभियुक्त बरामद मोटर साइकिल को बेचने की फिराक में था कि पुलिस ने चैकिंग के दौरान पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-
सन्नी कुमार पुत्र पप्पू निवासी गांव भटपुरा थाना सादाबाद जनपद हाथरस हाल पता राहुल के मकान में किरायेदार भोवापुर कौशाम्बी गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-
गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-
थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा अनैतिक देह व्यापार कराने के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 12.12.2025 को सोशल मीडिया एक्स(ट्विटर) पर ट्वीट प्रसारित हुआ कि एल आई जी फ्लैट न0 43 तुलसीनिकेतन थाना टीलामोड क्षेत्र में अनैतिक देह व्यापार का कारोबार किया जा रहा है, जिसमें भोली भाली गरीब महिलाओं को बहला फुसलाकर देह व्यापार कराया जा रहा है। जिसका तत्काल संज्ञान

लेते हुए सहायक पुलिस आयुक्त शीलामार गार्डन व थाना टीलामोड पुलिस टीम द्वारा एल आई जी फ्लैट न0 43 तुलसीनिकेतन में दबिश देकर अनैतिक देह व्यापार में 02 पीड़ित महिला को रेस्क्यू किया गया तथा अनैतिक देह व्यापार कराने वाला 01 अभियुक्त प्रदीप पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी म0नं0 282 गली नं0 09 चन्द्रलोक दुर्गापुरी थाना मानसरोवर पार्क दिल्ली उम्र करीब 45 वर्ष को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा 3/4/5/6 अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा चुकी है। उपरोक्त घटनाक्रम में दिनांक 06.01.2026 को थाना टीलामोड पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अनैतिक देह व्यापार कराने के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त राकेश कश्यप उर्फ रवि पुत्र विजयपाल निवासी म0न0 ए 257 गली न0 10 संगम विहार थाना लोनी बार्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष को कोयल एन्कलेव के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त राकेश कश्यम उर्फ रवि उपरोक्त के विरूद्ध पंजीकृत अभियोग में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त राकेश कश्यप उर्फ रवि पुत्र विजयपाल उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त ने एल आई जी फ्लैट न0 43 तुलसीनिकेतन में किराये पर लिया था, किराये पर लिए गए फ्लैट में अभियुक्त उपरोक्त अपने साथियों के साथ अनैतिक देह व्यापार करना लगा। जिसमें मोबाइल फोन से व्हाट्सअप के माध्यम से फोटो भेजकर एल आई जी फ्लैट न0 43 तुलसीनिकेतन का पता देकर बुलाते थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

राकेश कश्यप उर्फ रवि पुत्र विजयपाल निवासी म0न0 ए 257 गली न0 10 संगम विहार थाना लोनी बार्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त राकेश कश्यप उर्फ रवि पुत्र विजयपाल उपरोक्त के विरूद्ध थाना टीलामोड पर अनैतिक देह व्यापार कराने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध एक तमन्चा देशी .315 बोर व एक तमन्चा देशी 12 बोर बरामद।

आज दिनांक 07.01.2026 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर चौकी क्षेत्र फरीदनगर से अवैध शस्त्र के साथ 02 अभियुक्तों 1.हाजी मस्तान पुत्र स्वर्गीय रमजानी निवासी मौहल्ला गोला कुआं रोड इमदाद कॉलोनी कस्बा फरीदनगर थाना भोजपुर गाजियाबाद 2.एहसान पुत्र इसराइल निवासी मौहल्ला गोला कुआं रोड इमदाद कॉलोनी कस्बा फरीदनगर थाना भोजपुर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से अवैध 01 तमंचा देशी 315 बोर व 01 तमन्चा देशी 12 बोर बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना भोजपुर पर धारा-3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त गण ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम दोनों चाचा-भतीजे है। यह देशी तमंचे हमने लोगों में अपना रौब दिखाने के लिए अपने पास रखे थे जिन्हें लेकर हम घूम रहे थे कि आपने हमें पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. हाजी मस्तान पुत्र स्वर्गीय रमजानी निवासी मौहल्ला गोला कुआं रोड इमदाद कॉलोनी कस्बा फरीदनगर थाना भोजपुर गाजियाबाद, उम्र करीब 38 वर्ष
2. एहसान पुत्र इसराइल निवासी मौहल्ला गोला कुआं रोड इमदाद कॉलोनी कस्बा फरीदनगर थाना भोजपुर गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त गण के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना भोजपुर पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

अवैध 01 तमंचा देशी 315 बोर व 01 तमंचा देशी 12 बोर बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना भोजपुर पुलिस टीम।